न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/56/2019

1 गोविन्दसिंह पुत्र महेन्द्रसिहं जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1 हुकमसिंह पुत्र नन्दल जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....असल प्रार्थी

2 महेन्द्रसिंह पुत्र मूला
3 दौलतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह } जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण तरतीवी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना अंतर्गत प्रकरण विविध संख्या 215/2009 शीर्षक हुकमसिंह बनाम महेन्द्रसिंह

———————

निर्णय

दिनांक 20.08.2019

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक प्रकरण विविध संख्या 215/2009 शीर्षक हुकमसिंह बनाम महेन्द्रसिंह सहायक कलक्टर नदबई के यहां विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना के व्यवहार से दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा सहायक कलक्टर नदबई से टिप्पणी तलब की गई। सहायक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक दावा सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि दावा सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी दावा को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी निर्णय को नहीं होने देना चाहते है । दावा को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने सहायक कलक्टर नदबई द्वारा प्रेषित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि वकील पक्षकारन की तरफ से बहस नहीं करने का कारण निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसी कारण केस को लम्बा करने की नियत है। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी स्पष्ट है कि विचारधीन दावा वर्ष 2019 का है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर दावा को देरी करने की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की मंशा विचारधीन दावा को देरी करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज रहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर